

26/4/22

आज यह पत्रावली वादी के प्राथमिक पत्र पर
कायालय से लखनऊ की गई/वादी मथलकीय
उप/पी० पत्र इस आशय को पेश किया कि
गांव के मौजिब व्यक्तियों ने हमारे महय
राजिनामा करा दिया है/अब कोई विवाद
शेष नहीं रहा है/अतः उक्त प्रकरण को
मौजूदा हालात में विद्वो फामाया जावे।
प्राप्त पी० पत्र पर वादी एवं वकील
वादी को सुना गया/पत्र को अवलोकन
किया/पी० पत्र वादी स्वीकार किया जाता
है/दाला वादी इसी स्तर पर विद्वो किया
जाता है/पत्रावली दरियम दफतर
है।

उपखण्ड अधिकारी
पराडी (नरतपुर)